

सेवा में,

रजिस्ट्रार महोदय,

प्रिन्सपल बेंच, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण,

कोपेरनियस मार्ग नई दिल्ली ।

विषय – अरिजनल ऐप्लिकेशन 219/2024 के संबंध में ।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली की प्रिन्सपल बेंच द्वारा दिनांक 30.08.2024 को पारित आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि रेस्पॉडेन्ट न0 1, 3 से 5 अपने जवाब 4 सप्ताह के भीतर माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में दाखिल करें। लेकिन कमाल फारुकी बाहुबल व्यक्ति होने के कारण अभी तक कोई जवाब माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में दाखिल नहीं किया गया है जो माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेश की अवमानना है। और कमाल फारुकी बाहुबल व्यक्ति और पैसे वाले होने के कारण अभी तक स्कूल / विधालय का संचालन तालाब पर इमारत बनाकर बेखौफ हो कर रहे है और आर्थिक लाभ अर्जित कर रहे है। कमाल फारुकी अपने प्रभाव से प्रशासन पर दबाव बनाकर तालाब की भूमि का विनिमय करवाने की कोशिश कर रहे है जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार तालाब के स्वरूप को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।

प्रार्थना

अतः माननीय महोदय से विनम्र अनुरोध है कि उपरोक्त प्रकरण में संस्था के अध्यक्ष श्री कमाल फारुकी इनके पुत्र व संस्था के उपाध्यक्ष श्री दानिश कमाल फारुकी व इनके समधी व संस्था के सचिव श्री शबी अहमद पर सख्त से सख्त विधिक कार्यवाही प्रस्तावित की जाए और जुर्माना लगाया जाए। और तालाब पर हुए अतिक्रमण को शीघ्र अतिक्रमण मुक्त कराकर तालाब को पुनः जीवित करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें। और उपरोक्त व्यक्तियों पर भू माफिया एक्ट लगाया जाए। जिस से भविष्य में कोई ऐसी हरकत नहीं कर सके।

दिनांक: 10/12/2024

प्रार्थी

डॉ सैय्यद अशहर तौसीफ निवासी
मोहल्ला गशितयान अमरोहा थाना अमरोहा
नगर, जनपद अमरोहा। 8218533746,
9897629400

आवश्यक/महत्वपूर्ण

कार्यालय जिलाधिकारी, अमरोहा

सं० 1900 /भू०व्य०साहा०/2024

दिनांक: 26/11/2024

विषय- चैयरमैन, मेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी, धनौरा रोड़ अमरोहा के प्रार्थना पत्र के संबंध में।

उप जिलाधिकारी,
अमरोहा।

उपर्युक्त विषयक चैयरमैन, मेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी, धनौरा रोड़ अमरोहा दिनांक रहित का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रार्थी मेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी धनौरा रोड़ अमरोहा के चैयरमैन है। आयुक्त महोदय मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद द्वारा गठित जॉच समिति की विवेचना एवं दि गये निष्कर्षों के अनुपालन में प्रार्थी के पुत्र उपरोक्त ट्रस्ट में ट्रस्टी श्री दानिश कमाल फारुकी पुत्र कमाल फारुकी, ग्राम अमरोहा खास बाहार चुंगी तहसील अमरोहा जनपद अमरोहा के गाटा सं० 696/0.8090हे० पूर्ण भाग एवं गाटा सं० 697/0.3240हे० में से 0.0858हे० कुल 0.8948हे० भाग प्राइवेट के रूप में विकसित करने को तैयार है, के सम्बन्ध में श्री दानिश कमाल फारुकी का जमीन देने संबंधी शपत्र पत्र सलंग्न किया गया है।

अतः तदानुकम उपरोक्त संदर्भित प्रार्थना पत्र सलंग्नकों सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से एक सप्ताह के अन्दर अवगत कराना सुनिश्चित करें।
सलंग्नक-यथोक्त।

अपर जिलाधिकारी(न्या०)
अमरोहा

26/11/24

विषय - मैस्को इंस्टिट्यूट आफ फार्मसी धनौरा रोड अमरोहा के सम्बन्ध में ।

महोदय

निवेदन है कि प्रार्थी मैस्को इंस्टिट्यूट आफ फार्मसी धनौरा के मूल ट्रस्ट राशिदा बेगम मुस्लिम महा विधालय धनौरा जनपद अमरोहा में चैयरमैन है तथा मैस्को इंस्टिट्यूट आफ फार्मसी धनौरा रोड अमरोहा की आयुक्त महोदय मुरादाबाद द्वारा गठित सदस्य कमेटी के द्वारा दी गई जाँच आख्या का जनसूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त जाँच आख्या से ही आख्या में वर्णित किया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी विभिन्न शासना आदेश के अंतर्गत प्रार्थी के व्यक्तिगत तालाब भूमि गाटा स० 404 रकबई 1.77 एकड़ ग्राम निजामपुर गर्वि जनपद अमरोहा के बदले 1.25 गुना भूमि अर्थात् लगभग 14 बीगा तालाब हेतु उपलब्ध करा दी जाये तथा तालाब स्थानांतरित करा दिया जाए तो मामला समाप्त हो सकता है तथा सम्बोधित भूमि प्राइवेट तालाब में दर्ज हो जाये ।

प्रार्थी के पुत्र व उपरोक्त ट्रस्ट में ट्रस्टी श्री दानिश कमाल फारुकी पुत्र कमाल फारुकी ग्राम अमरोहा खास बाहार चुंगी तहसील अमरोहा जनपद अमरोहा के गाटा स० 696 रकबई 0.8090 हे० पूर्ण भाग 12.64 बीगा गाटा स० 697 रकबई 0.3240 हे० में से 0.858 हे० कुल 0.8948 हे० कुल 14 बीगा भूमि प्राइवेट के रूप में विकसित करने को तैयार है । इस प्रार्थना पत्र के साथ श्री दानिश कमाल फारुकी का जमीन देने शपथ पत्र व खतोनी संगलक है ।

DLRC
20/11/24

प्रार्थी

कमाल फारुकी चैयरमेन पुत्र
नफीस अहमद फारुकी
निवासी निजामुद्दीन ईस्ट
नई दिल्ली साउथ